न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

गोपीचन्द वगैरा **बनाम** राज0 सरकार

प्रकरण सं0 – 2021/955 (GCMS)

अन्तर्गत धारा– 136 एल.आर.एक्ट

11.11.2021 प्रार्थीगण गोपीचन्द, प्रेमचन्द पि0 सांवरमल, लालीदेवी पत्नी सांवरमल जाति ब्राहम्ण साकिन रघुनाथपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता सांवरमल पुत्र गणपतराम के नाम आवंटित चक 11 केडी–बी के मु0 नं0 91/63 के किला नं0 20 ता 24 की 5–00 बीघा अ0क0 भूमि स्मालपेच में आवंटित हुई थी जो जमाबन्दी में किला नं0 20 ता 25 की 6–00 बीघा दर्ज हो गई है। इस किला नं0 25 आवंटन से अधिक दर्ज है जिसे प्रार्थी कम करवाकर अपनी जमाबन्दी दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार रावला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 11 केडी–बी के प0 नं0 91/63 के किला नं0 20 ता 24 की की 5–00 बीघा भूमि आवंटी सांवरमल पुत्र गणपतराम को स्मालपेच की श्रेणी में आवंटन हुई थी प0ह0 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 चक 11 केडी–बी के प0 नं0 91/63 के किला नं0 20 ता 24/1.265 है0 अ0क0, 25/1 की 0.228 क0, 0.025 खाला कुल 1.518 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबा गोपीचन्द, प्रेमचन्द पि0 सांवरमल 1/3 हिस्सा प्रत्येक, लालीदेवी पत्नी सांवरमल 1/3 हिस्सा जाति ब्राहम्ण साकिन रघुनाथपुरा गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज रिकॉर्ड रकबे में से किला नं0 25 जो कि आवंटन से अधिक दर्ज रिकॉर्ड है को कम करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6–ए व वनविभाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में आवंटन से अधिक दर्ज किला नं0 25 को कम करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार रावला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी की भूमि में किला नं0 25 आवंटन से अधिक दर्ज है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो प्रार्थीगण की जमाबन्दी में आवंटन से अधिक दर्ज किला नं0 25 को कम किया जाकर जमाबन्दी में आराजीराज दर्ज कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रावला को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना